

यह निरीक्षण प्रतिवेदन बाल विकास परियोजना अधिकारी, पाबौ (पौड़ी गढ़वाल) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, पाबौ (पौड़ी गढ़वाल) के माह 05/16 से 08/17 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रविशंकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री एस.एस. राणा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री विजयकुमार, व.ले.प. द्वारा दिनांक 14.09.2017 से 18.09.2017 तक श्री एस.के. जौहरी, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

### भाग-I

- परिचयात्मक:** यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।  
वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2016 से 08/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
- (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र:** पाबौ, नंदा देवी योजना, वृद्ध महिला पोषण, THR/Cooked food

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	0	0	14.01	10.48	128.28	124.36	---	7.44
2016-17	0	0	20.22	14.40	222.80	118.29	---	110.33
2017-18 (8/17 तक)	0	0	11.95	05.69	63.20	28.74	---	---

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
2015-16	आ.बा. मानदेय	0	44.10	42.75	1.35
	घरेलू हिंसा		0.40	0.40	---
2016-17	आ.बा. मानदेय	0	63.40	37.83	25.57
	घरेलू हिंसा		0.20	0.13	0.70
2017-18	आ.बा. मानदेय	0	18.85	10.65	---

(iii) इकाई को बजट आवंटन केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई (सी) श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

1. सचिव
2. निदेशक
3. डी.पी.ओ.
4. सी.डी.पी.ओ.

- (iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि:** लेखापरीक्षा में **बाल विकास परियोजना अधिकारी, पाबौ (पौड़ी गढ़वाल)** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **बाल विकास परियोजना अधिकारी, पाबौ (पौड़ी गढ़वाल)** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। नंदा देवी कन्या योजना, THR/Cooked food का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन लागत एवं व्यय राशि तथा कार्य की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखकर चयन किया गया। के आधार पर किया गया।
- (v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 18 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

**भाग-दो(ब)****प्रस्तर -1 : ब्याज प्राप्ति रू. 28,468/- की धनराशि राजकोष में जमा न कियाजाना ।**

उत्तराखंड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: U.O. 18/XXVII(6)-टी. सी. ए. 934-2014, दिनांक 21.04.2017 तथा महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग के आदेश संख्या: 610/XVII(4)/2017-2(8)2017, दिनांक 26.04.2017 के अनुसार प्रशासनिक विभागों द्वारा परियोजनाओं हेतु धनराशि बैंक खाते में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है और उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा न करते हुए प्रयोग में लिया जा रहा है। यह एक वित्तीय अनियमितता है तथा निर्देशित किया है की जितने भी बैंक खाते है उनमें अर्जित ब्याज की पुष्टि करते हुए तत्काल उक्त धनराशि राज्य सरकार के सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा कराया जाय।

इसके अतिरिक्त उत्तराखंड शासन शासनादेश संख्या:99/XXVII(14)/2009 दिनांक 03.09.2009 द्वारा भी निर्देशित किया गया था कि यदि किसी विशिष्ट कारणों के कारण समेकित निधि से आहरित धनराशि का उपयोग न किया जा सके तथा उस पर ब्याज अर्जित हो तब इस प्रकार अर्जित धनराशि राजकोष में लेखाशीर्षक -0049-ब्याज प्राप्तियाँ, 04 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की ब्याज प्राप्तियाँ, 800 अन्य प्राप्तियाँ, 12-अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियों में जमा किया जाय।

बाल विकास परियोजना अधिकारी, पौबा, पौड़ी गढ़वाल के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया कि इकाई द्वारा पदनाम बैंक खातों में कुल 28,468/- का ब्याज अर्जित किया गया था जो लेखापरीक्षा तिथि (सितंबर 2017) तक बैंक खाते में ही पड़ी थी। उक्त शासनादेशों के अनुपालन में प्राप्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित था परंतु इकाई द्वारा लेखापरीक्षा तिथि तक उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा नहीं की गई थी ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि ब्याज की धनराशि यथाशीघ्र राजकोष में जमा की जायेगी।

इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है । अतः रू. 28,468/- की ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा न करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

**भाग -2 'ब'**

**प्रस्तर- 2: वर्ष 2016-17 में रू. 55.15 लाख की धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त न किया जाना।**

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक: 460/XVII(4)/2016-129/06TC, दिनांक 10.02.2016 तथा आई. सी. डी. एस. निदेशालय देहरादून के पत्रांक: C-29/रिपोर्ट/14/2017-18, दिनांक 05.04.2017 द्वारा मुख्यमंत्री वृद्ध महिला पोषण योजना के उपभोग प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था।

मुख्यमंत्री वृद्ध महिला पोषण योजना के क्रियान्वयन हेतु आंगनवाड़ी केन्द्रों की माता समितियों को हस्तांतरित धनराशि के व्यय होने के पश्चात संबन्धित मुख्य सेविका द्वारा उसका उपभोग प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना चाहिए तथा प्रस्तुत उपभोग प्रमाण पत्र के आंकड़ों को संकलित करते हुए बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय से जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय को प्रेषित किया जाना चाहिए।

बाल विकास परियोजना अधिकारी, पाबौ, पौड़ी गड़वाल के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया कि मुख्यमंत्री वृद्ध महिला पोषण योजना के क्रियान्वयन हेतु इकाई द्वारा वर्ष 2016-17 में रू. 4.35 लाख की धनराशि चेक संख्या 026257 व e-transfer/payment द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों की माता समितियों के खातों में हस्तांतरित की गई थी जिसके उपभोग प्रमाणपत्र प्राप्त किए जाने अपेक्षित थे परंतु इकाई द्वारा लेखापरीक्षा तिथि तक उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए गए थे।

इसके अतिरिक्त इकाई द्वारा अनुपूरक पोषाहार (THR/Cooked food) के अंतर्गत वर्ष 2016-17 में 97.10 लाख की धनराशि आवंटित हुई थी जिसके सापेक्ष इकाई द्वारा वर्ष 2016-17 में रू 50.80 लाख का व्यय किया गया था तथा अवशेष धनराशि समर्पित की गई थी। व्यय की गई धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने अपेक्षित थे परंतु इकाई द्वारा उपभोग प्रमाणपत्र लेखापरीक्षा तिथि तक प्राप्त नहीं किए गए थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि सुपरवाईजर्स को निर्देशित किया जाएगा तथा उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए जाएंगे।

इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा आपत्ति कि पुष्टि करता है। अतः वर्ष 2016-17 में रू. 55.15 लाख की धनराशि के उपभोग प्रमाणपत्र प्राप्त न करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

।

**STAN**

**प्रस्तर-1- निर्धारित अवधि में आवेदन पत्रों को अग्रेषित न करने के कारण योजना के लाभ देने में अनावश्यक देरी करना।**

राज्य सहायतित नंदा देवी कन्या योजना "हमारी कन्या हमारा अभियान" योजना का लाभ राज्य के उस समस्त निवासियों को, जिनके परिवार में 1 जनवरी 2009 के बाद दो जीवित बालिकाओं ने जन्म लिया हो तथा वे इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने की समस्त शर्तें पूरी करते हो, चाहे इसके पूर्व उनकी अन्य जीवित सन्ताने भी हो। उक्त योजना के अंतर्गत रू. 15000/- की धनराशि प्रदान की जायेगी। यह धनराशि तीन किशतों में प्रदान की जायेगी। प्रथम किशत के रूप में बालिका के अभिभावक द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर रू. 5000/- की धनराशि A/C Payee चैक के माध्यम से कन्या के अभिभावक को प्रदान की जायेगी। शेष रू. 10,000/- की धनराशि की F.D बैंक में कन्या तथा उसके माता-पिता के नाम से संयुक्त रूप से करायी जायेगी। द्वितीय किशत के रूप में कन्या द्वारा 10 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पुनः कन्या के माता-पिता के खाते में E-Transfer के माध्यम से रू. 5,000/- की धनराशि हस्तांतरित की जायेगी, जिसमें से तृतीय एवं अंतिम किशत के रूप में ब्याज सहित शेष धनराशि लाभार्थी बालिका को उसकी 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर हाई स्कूल में अध्ययनरत् होने तथा आविवाहित होने की दशा में प्रदान की जायेगी।

इसके अतिरिक्त शासनादेश 1945/XVII(4)/2014/14(09)TC, दिनांक 01.10.2014 के बिन्दु 6 के अनुसार लाभ देने की प्रक्रिया में जनपद स्तर पर एक समिति का गठन किया जायेगा। इस समिति की बैठक प्रत्येक माह आहूत की जायेगी तथा विगत माह में प्राप्त समस्त पात्र लाभार्थियों को अगले माह में लाभान्वित करने की जिम्मेदारी संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी की होगी।

शासनादेश के बिन्दु 8 के अनुसार, बाल विकास परियोजनाओं में इस योजना हेतु अलग से पंजिका बनाकर प्राप्त आवेदन की प्रविष्टि कर आवेदनकर्ता को क्रमांक संख्या उपलब्ध कराया। 15 दिन के अन्दर बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों की गहनतापूर्वक जांच करते हुए जनपद स्तरीय समिति के सम्मुख स्वीकृति हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा, जो इस योजना के नोडल अधिकारी होंगे।

बाल विकास परियोजना अधिकारी, पाबौ (पौड़ी गढ़वाल) के नंदा देवी योजना के संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2015 में 30 आवेदन पत्रों तथा वर्ष 2016 में 13 आवेदन पत्रों को मार्च 2017 में जिला कार्यक्रम अधिकारी को प्रेषित किया गया, जबकि शासनादेश के बिन्दु 8 के अनुसार सभी आवेदन पत्रों को प्राप्ति के 15 दिन के भीतर जिला कार्यक्रम अधिकारी को प्रेषित किया जाना था। जबकि आवेदन पत्रों को 12 महीने से लेकर लगभग 2 महीने की देरी से भेजा गया। इस प्रकार यह शासनादेश के बिन्दु 6 व 8 के विपरीत है तथा लाभार्थियों को योजना का लाभ मिलने में अनावश्यक देरी भी हुई है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया कि आवेदन पत्रों में त्रुटियों के पूर्ण करने के कारण आवेदन पत्रों को प्रेषित करने में देरी हुई। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अधिकांश आवेदन पत्र 12 महीने से 4 महीने पूर्व तक (प्रेषण की तिथि से) प्राप्त हो चुके थे, जिनमें त्रुटियों को दूर करते हुए आवेदन पत्रों को जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय प्रेषित किया जा सकता था। परन्तु आवेदन पत्रों को प्रेषण करने में अनावश्यक देरी हुई है।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

**भाग-III**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।		

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-----शून्य-----



**भाग-V****आभार**

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **बाल विकास परियोजना अधिकारी, पाबौ (पौड़ी गढ़वाल)** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:**
  - (i) शून्य
2. **सतत् अनियमितताएं:**
  - (i) शून्य
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री एस.के. त्रिपाठी	सी.डी.पी.ओ.	01.05.16 से 25.01.17
2.	श्री सुनील कुमार	सी.डी.पी.ओ.	26.01.17 से 31.03.17
3.	श्री एस.के. त्रिपाठी	सी.डी.पी.ओ.	01.04.17 से 14.06.17
4.	श्रीमती जम्मोत्री रतूड़ी	सी.डी.पी.ओ.	15.06.17 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **बाल विकास परियोजना अधिकारी, पाबौ (पौड़ी गढ़वाल)** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाय।

**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र**